समाचार.प्रकाषनार्थरू.

4 वाहन चालक व 1 लिपिक का वेतन काटा

रतलाम 13 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार कचरा संग्रहण वाहन के चालक निकेष डागरए रूपेष चावरे द्वारा बिना सूचना के कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने व वार्ड क्रमांक 3 के कचरा संग्रहण वाहन चालक जितेन्द्र तोमर द्वारा लगातार कार्य में बरती जा रही लापरवाही के कारण 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया

इसके अलावा वाहन चालक विनोद.नानालाल द्वारा बिना सूचना के कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर 1 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

स्वच्छ सर्वेक्षण के कार्य के दौरान भी दैनिक वेतन भोगी लिपिक धर्मेन्द्र.मोहनलाल द्वारा 12 एवं 13 जनवरी को बिना सूचना के कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर 2 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

कचरा संग्रहण वाहन के 22 ड्रायवर व 26 हैल्परों का आधे दिवस का वेतन काटा सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना.पत्र जारी

रतलाम 13 मार्च । कचरा संग्रहण वाहनों से 13 मार्च रविवार को वार्डो में 5.5 ट्रीप लगाये जाने के निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देष के बाद भी कचरा संग्रहण वाहनों के 21 ड्रायवर व 26 हैल्परांे द्वारा निर्देषानुसार कार्य नहीं किये जाने पर आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने के कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

आदेष की अवहेलना करने पर कचरा संग्रहण वाहन चालक जितेन्द्र तोमरए पवन जैतपुरियाए मुकेष पवांरए वसंत तोमरए षुभम् चनालए कृशणपालए जीवनए राजेष

देवड़ाए चत्तर सिंहए सुनील बैरागीए साईद खानए ष्याम उंटवालए देवकरणए जितेन्द्र जोषीए विकास.अषोकए राजेष वर्माए दिनेष परमारए अरविन्द परिहारए कैलाष परमारए सुन्दरए दर्षनए धीरज बाली व हैल्पर विषाल.मुकेषए धीरज.अषोकए कमल. सुल्तानए कृश्णा.अषोकए विकास.गोवर्धनए विकास गोवर्धनए मुकेष.दिनेषए विरेन्द्र. कैलाषए हिम्मत.किषोरए सुनील बैरागीए राहूल खरेए संदीप.रमेषए सुमित. जमनालालए गोपाल.दिलीपए राहूल.अषोकए भवानी.मनोहरए दीपक.लड्डूए ओमप्रकाष. लड्डूए दिनेष परमारए संतोश.राजूए अंकित.प्यारेलालए आनन्द.मनोहरए हेमन्त. बसन्तीलालए रवि.हरिरामए अनिल.चन्दू व संदीप.सुरेष का आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

उंकार मोहन भृत्य निलंबित

रतलाम 13 मार्च । नगर निगम राजस्व विभाग के भृत्य उंकार.मोहन का एक सप्ताह पूर्व राजस्व विभाग से संत कवंरराम कम्युनिटी हॉल पर चौकीदारी हेतु पदस्थ किया गया था। आदेष जारी होने के पष्चात् भी उंकार.मोहन द्वारा कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं हुए अनुपस्थिति की दषा में चोरो द्वारा कम्युनिटी हॉल की जालियां चोरी की गई व खिड़कियों के कांच फोड़े गये जिससे नगर निगम को 1 लाख की आर्थिक क्षति पंहूचने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार उंकार.मोहन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

नगर निगम के भृत्य उंकार.मोहन द्वारा नवीन कर्तव्य स्थल संत कवंरराम नगर कम्युनिटी हॉल में

गदंगीए अमानक पॉलीथीन व खुले में यूरिन उपयोग तथा विक्रय करने पर 16 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 13 मार्च । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में

कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए **मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते है**ए **अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं**ए **खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत** 13 **मार्च रविवार को** 16 **व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।**

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार बाम्बेवाला मटका कुल्फी पर 300ए **बुरहानी बेग सेंटर पर** 250ए **षिवषक्ति कैफे पर** 200ए **ललीत**ए **चौधरी चाट हाउस**ए **सुमीत चाट सेंटर**ए **अरविन्द**ए **श्रीराम टी स्टॉल**ए **सद्दाम**ए **बाबा चाट संेटर**ए **महाकाल सोड़ा षिकंजी**ए **मुकेष मालवीय**ए **संजू**ए **अमित**ए **संतोश व मिनाक्षी बस ड्रायवर पर** 100.100 **रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी**ए **अतिक्रमण व अमानक पॉलीथीन का उपयोग व विक्रय ना करने तथा खुले में यूरिन ना करने की समझाईष दी।**

स्पॉट फाईन की कार्यवाही सर्वश्री कुलदीप भट्टए **विजय मेहना**ए **मनीश झांझोट**ए **अंकित पुरोहित**ए **राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।**

13 **मार्च को** 105 **मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा**

रतलाम 13 **मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे्रंचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत** 13 **मार्च रविवार को** 105 **मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टे्रंचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।**

13 **मार्च रविवार को डम्पर से** 40105ए **टे्रक्टर से** 10680ए **मैजिक सूखा कचरा** 32875ए **मैजिक गीला कचरा** 22055ए **सेनेटरी वेस्ट** 10ण्3 **व घरेलू हानिकारक कचरा** 4 **किलो इस तरह कुल** 105715ण्3 **किलो कचरा जुलवानिया टे्रंचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।**

100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 13 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक ;प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्डए बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिकए प्लास्टिक झण्डेए कैंडी स्टिकए आईस्क्रीम स्टीकए सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोलए प्लास्टिक प्लेट्सए कपए ग्लासए फोर्कए चम्मचए चाकूए स्ट्राए टेª ए स्वीट बाक्सए निमंत्रण पत्रए सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्मए प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनरद्ध के उपयोग को मध्यप्रदेष प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक ;पॉलीथीनद्ध निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेषियो को पकड़ने का अभियान निरंतर जारी
1414 मवेषियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौषालाओं में भेजा

रतलाम 13 मार्च । नगर को साफ.स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेषियों को

पकड़कर गौषालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 1414 मवेषियों को पकड़कर जिले की गौषालाओं में भेजा गया।

कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 मार्च तक 1416 मवेषियों को पकड़ा जाकर गौषालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 13 मार्च को किरण टॉकिजए बाजना बस स्टैण्डए षांति नगर व पोलोग्राउण्ड से 4 मवेषी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पषु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राषि रूपये 500ध् वसूल करेगा

17 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 13 मार्च । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 6 व दोपहर की षिफ्ट में 11 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

13 मार्च रविवार को वार्डो मंे सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में राकेष.रतनलालए सुनील.षंकरलालए षांतिबाई पति सुरेषए झोन क्रमांक 2 में सोमदीप.सुदेषए नन्दू.मथुरालालए झोन क्रमांक 3 में मुन्नीबाई पति ईष्वरए दोपहर की षिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में नितीन.कमलए रघुवीर.पुनमचन्दए राकेष.कैलाषए बबीताबाई पति कमलए गंगाबाई पति राजारामए मंगलाबाई पति किरणए मंगलाबाई पति पवनए आषाबाई पति मुकेषए लक्ष्मीबाई पति दीपकए ष्यामाबाई पति ओमप्रकाषए संजुबाई पति प्रकाष इस तरह 17 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।
ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्तध्निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री
सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 13 मार्च । निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री के नियमानुसार निश्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिषन 2ण्0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिश्ट सामग्री कांक्रीटए ईंटए मुरमए

मलबाए स्टीलए लकड़ीए प्लास्टिकए मोर्टरए साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें

रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 13 मार्च । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टेªषन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना.पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टेªषन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000६ एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500६ प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेेतु प्रतिवर्श 100६ रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य

रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3318 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 119 हितग्राही हुए लाभान्वित
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 13 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 3098 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 220 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 114 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 13 मार्च । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 13 मार्च । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 13 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 13 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्13ण्03ण्2022ध्नण्पाणनिगमए रतलामण